

**प्रारूप-झ (संलग्नक-9)****अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण**

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/33064/BJN/BIJNOR/236/CFO

दिनांक: 30-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY AT KASOUR ROAD KIRATPUR TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता -,KIRATPUR TO KASOUR ROAD,KIRATPUR तहसील - **NAJIBABAD** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	3	0	10.80 mt.

तथा प्लॉट एरिया **8430 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY AT KASOUR ROAD KIRATPUR TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **06-07-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAJEEV KUMAR** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **07-07-2024** से **07-07-2027** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** उक्त भवन को UID NO-UPFS-2021-33064-BJN-BIJNOR-236-CFO DATE 30-06-2021 द्वारा अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र(पूर्णता (कंप्लीशन)अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। जिसका नवीनीकरण शासनादेश संख्या-18/छ:-पुं-8-2022/905-34-201टी०सी० दिनांक07-01-2022 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों एवं FSSO बिजनौर/नजीबाबाद की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर निर्गत किया जाता है।। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करें। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बंधित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगी। यदि सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **07-07-2024**  
स्थान : **BIJNOR**

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**AJAY KUMAR SHARMA**

A374EAC7B2755ED009D1F2B68F02126B261C8225

07-07-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.